

- वदस प्रस्तुत हैं। पत्रावली वास्तु वदल दिनांक
15.04.2024 को पेश है।

जिला कलक्टर
साहपुरा

5.04.2024 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उद्यमपत्र 34।
अधिवक्ता उद्यमपत्र द्वारा वदस हैं। अतस यादा
शया। न्यायाद्वि में अतस 2 दिया जाता है। पत्रावली वास्तु
दिनांक 30.04.24 को पेश है।

जिला कलक्टर
साहपुरा

30.04.2024

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उद्यमपत्र व निगराकार उपस्थित।
निगराकार लेटरनाम द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत निगरानी विज्ञापित
किये जाने पेश किया। जिसकी वजहसे अधिवक्ता नमन औझा
द्वारा की गई। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में निगराकार को
शुना गया। निगराकार द्वारा निगरानी में आगे की कार्यवारी नहीं
करने का निवेदन किया गया। पत्रावली व प्रार्थना पत्र का अवलोकन
किया गया। अतः निगराकार का प्रार्थना पत्र बाबत निगरानी विज्ञापित
जाने स्वीकार किया जाता है। निगराकार की निगरानी अंतर्गत धारा
9 क शर्त पत्रावली अधिनियम 1994 वही स्तर पर स्वारित की
जती है। पत्रावली के सब ~~के~~ शुभार होकर नमन से कम है।

जिला कलक्टर
साहपुरा